WWW.APMA.BIZ

ESTD. 1965

ऑटोमोटिव पार्ट्स मर्चेन्ट्स एसोसिएशन (रजि.)

AUTOMOTIVE PARTS MERCHANTS ASSOCIATION(Regd.)

(Regd No. S/2999 of 1966-67)

FLAT NO. 10, IST FLOOR, VARDAN HOUSE, CHABI GANJ, KASHMERE GATE, DELHI-110006

Phone : 23967505, 23948000 E-mail : apma1965@yahoo.in Website : www.apma.biz

R.K. GUPTA	VISHNU BHARGAVA	VINAY NARANG
PRESIDENT	Hony. General Secretary	Hony. Treasurer
Mobile : 9891008503	Mobile : 9811139614	Mobile : 9810193816

सरकूलर नं0 अपमा/2016–18/125 दिनांक : 19 जुलाई, 2017

जैसा कि आप सभी व्यापारी भाईयों को विदित ही है कि 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हो गया है। इस विषय को ध्यान में रखते हुए आपकी संस्था अपमा समय–समय पर जीएसटी से संबंधित जानकारियो को व्यापारी भाईयों को सरकूलर के माध्यम से भी उपलब्ध करवा रही है। इसी श्रृंखला में जीएसटी से संबंधित निम्नलिखित महत्वपूर्ण जानकारियां दी जा रही है :–

1. GSTIN की रबड़ स्टाम्प बनाएं।
2. अपने सभी इनवाईस के लिए GSTIN Number की स्टाम्प चाहिए।
3. नया बिल बुक लें और शुरूआती नंबर 1, 01 या 001. से आरम्भ करें ।
4. अगर आपके पास कोई बिल बुक नहीं है तो आप इसे नए जीएसटी मॉडल बिल में प्रिंट करें।
5. अपने सभी आपूर्तिकर्ताओं को GSTIN दें।
6. अपने सभी ग्राहकों से GSTIN प्राप्त करें।
7. हम आईटीसी(इनपुट टैक्स क्रेडिट) को अपने व्यवसाय उन्मुख व्यय से संबंधित उपक्रमों से ल जाऐगें(Telephone bill, Courier Bill, Stationery Bill, etc) इसके बाद आपको अपने GSTIN के बाद अपने व्यापार के सभी खर्चो के लिए बिल प्राप्त करना आवश्यक है।
8. आप लोकल(इट्रां स्टेट) के लिए बिल बना सकते है जैसे SGST-14% और CGST-14% बाहरी राज्य(अंतर–राज्य) के लिए IGST-28%
9. ज्यादरतर ऑनलाइन नकद लेन–देन उचित है और सभी छोटे खर्चो के लिए डेविट कार्ड प्रयोग कर सकते है।
10. प्राप्त राशि अग्रिम करने के लिए टैक्स का भुगतान करना होगा इसलिए बिलों को उठाने या बिल जमा करने के बावजूद किसी भी राशि को प्राप्त या भुगतान नहीं किया जाता है।
11. नगद में 10000/– रूपये से अधिक के लिए कोई खर्चो नहीं लिखा जाए। यदि आप 2 लाख से अधिक व्यक्तियों या कंपनी से प्राप्त करते है तो उस संपूर्ण राशि को दंड होगा (आयकर निमयानुसार)।
12. बिक्री कर विभाग से आईटीसी प्राप्त करने के लिए कृपया 30–6–2017 को बिल संबंधी समापन स्टॉक करें (सेवा इकाई के लिए नही)।
13. आपको अपंजीकृत डीलर से बिल प्राप्त करने के लिए कर का भुगतान करना होगा (सेवा इकाई के लिए नही)।
14. कृपया प्रत्येक कैलेंडर माह के दूसरे दिन सभी खरीद, बिक्री, व्यय बिल और बैंक स्टेटमेंट के लिए तैयार करें।
15. हमें बिक्री लेन–देन बिल को 10^{th} को या से पहले दर्ज करना होगा और लेने और खरीद लेन–देन बिल को 15^{th} को या से पहले दर्ज करना होगा तथा अंतिम लेन–देन(बिक्री–और खरीद) को हर माह की 20^{th} उस कर की राशि जमा करवानी होगी, इसमें शुरू के दो माह के लिए छूट दी गई है।
16. जीएसटी पोर्टल में, उनके पास वास्तविक व्यापारिक व्यक्ति के लिए अनुपालन रेटिंग पद्वति है कृपया नियमों का पालन करें और वास्तविक व्यवसायी प्राप्त

STATE CODES IN GST

01.Jammu & Kashmir	10. Bihar	19. West Bengal	28. Andhra Pradesh
02.Himachal Pradesh	11. Sikkim	20. Jharkhand	29. Karnataka
03.Punjab	12.Arunachal Pradesh	21. Orissa	30. Goa
04.Chandigarh	13. Nagaland	22. Chhattisgarh	31. Lakshdweep
05.Uttranchal	14. Manipur	23. Madhya Pradesh	32. Kerala
06.Haryana	15. Mizoram	24. Gujarat	33. Tamil Nadu
07.Delhi	16. Tripura	25. Daman & Diu	34. Pondicherry
08.Rajasthan	17. Meghalaya	26. Dadra & Nagar Haveli	**35. Andaman & Nicobar Islands**
09.Uttar Pradesh	18. Assam	27. Maharashtra	36. Telegana

इसके अलावा कुछ बुनियादी बातें

कृपया अपने खातों में जीएसटी खर्चे डालते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखें।

5000 रूपये से अधिक के रोज के खर्चे सभी भुगतान जीएसटी के साथ होंगें, इसका मतलब यदि आप अपंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं के साथ काम कर रहें हैं और 5000 हजार रूपये से अधिक भुगतान करते हैं तो आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म(आरसीएम) के तहत जीएसटी देना होगा।

जो खर्चे **Reverse Charge** के बाहर है

Salary and wages, Electricity, Interest, Car Fuel, Government Fees.

जो शामिल है

Rent, Commission payment, Printing and Stationery, Repairs and Maintenance, Office Maintenance, Office Maintenance, Vehicle maintenance, Computer maintenance, Legal Fees, Consultancy fees, Professional Fees, Audit fees, Labour charges, Frieght and transportation expenses, Gift expenses, Business promotion expeses, Advertisement etc.

आवश्यक सूचना

साथियों, GSTIN पोर्टल पर 24 जुलाई से कर सकेंगे इनवॉइस अपलोड, जीएसटी नेटवर्क देगी सुविधा। व्यापारी और ट्रेडर्स 24 जुलाई से GSTIN के पोर्टल पर अपनी बिक्री और खरीददारी के इनवॉइस अपलोड कर सकेंगे। पोर्टल पर 1 जुलाई के बाद जनरेट हुए इनवॉइस को अपलोड किया जा सकेगा। जीएसटी का आईटी नेटवर्क का काम देख रही जीएसटीएन नेटवर्क ने रविवार को इसकी जानकारी दी।

रोज अपलोड कर सकेंगे इनवाइस –

जीएसटी नेटवर्क के चेयरमैन नवीन कुमार ने बताया कि हम 24 जुलाई स पोर्टल पर इनवॉइस अपलोड करने की सुविधा शुरू करने की सुविधा शुरू करने की योजना बना रहें हैं। ताकि बिजनेस अपने स्तर पर हर रोज या हफ्ते में कभी भी इनवॉइस अपलोड कर सकते है। इससे वह महीने के अंत में इनवॉइस अपलोड करने के झंझट से बच जाएंगें।

आईटीसी के लिए जरूरी है इनवाइस –

जीएसटी के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट(आईटीसी) कलेम करने के लिए 200 रूपये और उससे ज्यादा के परचेसिंग और सेलिंग के इनवॉइस जारी करने होते हैं। यही नहीं, इन्हें सीरियल वाइज तैयार भी रखना पड़ता है। जीएसटीएन ने पिछले महीने ही बिजनेस के लिए ऑफलाइन एकसेल फॉर्मेट लॉनच किया था। इस पर वह अपना इनवॉइस रिकॉर्ड मेंटेंन कर सकते है और 24 जुलाई से यह एकसेल शीट पोर्टल पर अपलोड की जा सकती है।

ट्रेडर्स को दिया जाएगा सहयोग –

कुमार ने कहा कि जीएसटीएन ने कहा कि इनवॉइस अपलोड करने में ट्रेडर्स का परेशानी न हो, इसके लिए एक वीडियो भी पोर्टल पर डाल दिया जाएगा। इसके अलावा कॉल सेंटर हेल्पडेसृक भी बनाई गई है। जहां ट्रेडर्स किसी भी तरह की जानकारी ले सकते है। यहां इनवॉइस अपलोड के अलावा जीएसटी से जुड़ी हर चीय की जानकारी मिलेगी।

रोज इनवॉइस अपलाड करना फायदेमंद –

कुमार ने कहा कि जो ट्रेड और इंडस्ट्री एसोसिएशन दिन में 10 हजार इनवाइॅस जारी करते हैं, उन्हें हर रोज इनवॉइस अपलोड करने चाहिए। इससे उन्हें महीने के अंत में किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

(विष्णु भार्गव)
महासचिव

WWW.APMA.BIZ

जी एस टी में पंजीकरण के लिए इकाईयां ध्यान दें !

जी एस टी में पंजीकरण 31.07.2017 से पहले करवाया जाना चाहिए

पंजीकरण अभी करवायें
अंतिम तिथि की प्रतीक्षा ना करें।

पंजीकरण के लिए आवेदन करने की समय सीमा निम्नलिखित है :–

जो किसी भी मौजूदा कानून के अंतर्गत पंजीकृत हैं	स्थानांतरित	जो जीएसटी में पंजीकरण के लिए उत्तरदायी है।	आवश्यक दस्तावेजों को जमा करके जारी की गई अस्थायी आईडी को 3 माह के अन्दर जीएसटीआईएन में बदलवाना होगा। (22 सितम्बर 2017 तक)
	अस्थानांतरित	जो पंजीकरण के लिए उत्तरदायी है।	पंजीकरण के लिए 30 दिनों के अन्दर आवेदन करना होगा। (22 जुलाई 2017 तक)
जो किसी भी मौजूदा कानून के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है	जो जीएसटी में पंजीकरण के लिए उत्तरदायी है।	जो 01.07.2017 से उत्तरदायी है।	पंजीकरण के लिए 30 दिनों के अन्दर आवदेन करना होगा। (30 जुलाई 2017 तक)
		जो 01.07.2017 के पश्चात् उत्तरदायी हो गए हैं।	उत्तरदायी होने के पश्चात् 30 दिनों के अन्दर, पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा।

- पंजीकरण के लिए सभी संबंधित दस्तावेजों/जानकारी क साथ जी एस टी एन कॉमन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

पंजीकरण करवाना क्यों आवश्यक है ?

- जीएसटी पंजीकरण के साथ आप इनपुट्स/इनपुट सर्विस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते है
- आपके खरीदार आपकी सप्लाईज पर इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकत हैं।
- पंजीकरण हेतु उत्तरदायी होते हुए भी पंजीकरण न लेने पर जुर्माना देना होगा।
- अपने व्यवसाय को पंजीकृत कराएं और अपना व्यापार बढ़ाएं।

आप अधिक जानकारी के लिये निम्नलिखित पर भी संपर्क कर सकते हैं :–

(विष्णु भार्गव)
महासचिव